न्यायालयः अवर न्यायाधीश तृतीय अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

<u>आदेश</u>

स्वत्व वाद संख्या 105/2018
सीआइएस 1721.18

दिनांकः 01.12.2023 वाद पुकारा गया । प्रस्तुत मामला वादी द्वारा दिनांक 24.06.2022 को व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश संख्या 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत मामले में वादी का कथन है कि वाद पत्र के पेज सं0 3, पेज सं0 5, पेज सं0 12 में कुछ शब्द टंकक के भूल के कारण टाइप करना छूट गया है जिसे न्यायहित में जोड़ना आवश्यक है अतः चूंकि मरम्मती आवेदन औपचारिक प्रकृति का है अतः उसे स्वीकार करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा दिये गये आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि यह दरख्वास्त नालिस दाखिल करने चार साल बाद दी गयी है वादीगण ने काफी विलंब से दरख्वास दी है और यह परिसीमा से बाधित है अतः संशोधन आवेदन को खारिज करने की कृपा किया जाए।

मामले में वादी के आवेदन और अभिलेख का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में समस्थ तथ्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा दिया गया आवेदन एक औपचारिक प्रकृति का आवेदन है न्यायालय के राय में इस आवेदन के स्वीकृत होने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह संशोधन पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधाराण के प्रयोजन के लिए आवश्यक है प्रस्तुत मामले में यद्यपि वाद बिंदु का गठन नहीं हुआ है और पक्षकारों ने अभी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है मामले में वादी का संशोधन आवेदन औपचारिक प्रकृति का है और न्यायालय की राय में संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा । मामले में संशोधन का उद्देश्य वाद के सम्यक और ऋजुपूर्ण निपटारे एवं विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक है अतः प्रस्तुत आवेदन 1500 रुपये खर्चे जो प्रतिवादी को प्राप्त होगा स्वीकृत किया जाता है। वादी तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अग्रिम तिथि जो कि दिनांक ..... होगी उस दिन तक वाद पत्र में निर्धारित संशोधन करे। एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निपटारा किया जाता है।

अवर न्यायाधीश